

FORM NO. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अदालत

उप जिला कलेक्टर

मुकाम

सवाई माधोपुर

गोपी बनाम राध्या वगैरे

कि० मुकदमा.:- दावा मु०न० 134 /2016

सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8 $\frac{1}{26}$	<p>पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण में दिनांक 04.11.2025 को उभयपक्ष द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा अधीन आदेश 22 रूल 3 सीपीसी के अन्तर्गत इस न्यायालय पेश किया है। उक्त राजीनामा का अवलोकन किया राजीनामा में अंकित किया है कि पक्षकारान मुकदमा मे लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीगण ने वादी वेदप्रकाश से सालो से मुकदमें में हुऐ खर्च के कम में 200000 अक्षरे दो लाख रूपये आज आपसी समझायश से प्राप्त कर लिये है तथा राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने में सहमत है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीगण को वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 3 बीधा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीधा 10 बिस्वा वाके ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील सवाई माधोपुर जिसके अब नये नम्बर बदल गये उनमें राजीनामा हो गया है। वादी को खातेदार कब्जे काशत की आराजी घोषित किया जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति से उक्त राजीनामा पेश किया पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामे पर सहमति होने का कथन प्रस्तुत कर हस्ताक्षर किये गये। उक्त राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा का मद नम्बर 3 आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि राजीनामा के मद नम्बर 3 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली में आदेश आदेश दिनांक 8/11/2025को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफतर दाखिला हो।</p>	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान

अन्तिम डिक्री

सवाई माधोपुर

1. गोपी पुत्र घीस्या (फौत)
1/1- वेद प्रकाश पुत्र गोपी जाति बैरवा
निवासी ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील व
जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. राध्या पुत्र जत्या (फौत)
- 1/1- गोपाल पुत्र राधाकिशन जाति बैरवा
- 1/2- मोती पुत्र राधाकिशन जाति बैरवा
- 1/3- कैलाश पुत्र राधाकिशन जाति बैरवा
- 1/4- श्रीमती भूली देवी पत्नी प्रभूलाल जाति बैरवा
निवासीयान ग्राम हलोदा तहसील व जिला सवाई
माधोपुर राजस्थान
- 1/5- बाबूलाल पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवा
- 1/6- हंसराज पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवा
- 1/7- श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी रामलाल जाति बैरवा
- 1/8- जगदीश पुत्र रामलाल जाति बैरवा
- 1/9- लालचंद पुत्र रामलाल जाति बैरवा
निवासीयान हलोदा हाल मोडक जिला रामगंज
मण्डी राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाई
माधोपुर

नम्बर मुकदमा 134 सन् 2016

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

वादी की और से श्री बालकृष्ण उपाध्याय एड0 और प्रतिवादी गण की और से श्री दिलीप कुमार सिंह एड0

की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 8.11.2026 को श्री गौरव कुमार मित्तल (आर.ए.एस) के सम्मक्ष निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रकरण में दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने के कारण राजीनाम स्वीकार किया गया है। राजीनामा में अंकित मद नम्बर 3 आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि राजीनामा के मद नम्बर 3 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना - अपना वहन करें।

इस वाद के खर्च लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 8.11.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

YL

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शाकित पद के लिए स्टाम्प	04.00	
2 शाकित पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0.00	
3 प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
4 प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	0.00	
6 कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
7 आदेशिका की तामील	03	00			
जोड	07.00	00	जोड	04.00	